कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
व्यवस्थापन (ग) वर्ग

पत्रांकः–258 व्यग/07व्यग(48)/2017 दिनांक– 16 /06/2022

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लो0नि0वि0, उ0प्र0।

विषयः–समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– कार्मिक अनुभाग–4 का पत्रांक–11/2022/363–सामान्य/सैंतालिस–का–4–2022–1/3/96 दिनांक 15.06.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/वृत्तीय कार्यालय तथा खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत समूह 'ग' व समूह 'घ' के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु कार्मिक अनुभाग–4 की स्थानान्तरण नीति 2022–23 दिनांक 15.06.2022 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत समूह 'ग' व' घ' के कार्मिकों का निम्न प्रकार से स्थानान्तरण/समायोजन करने की कार्यवाही करें :–

1. **(क).** समूह ग' व समूह 'घ' के ऐसे कार्मिकों, जिनका स्थानान्तरण/समायोजन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को होना है, के प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुति के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा सम्पादित किये जाने हेतु दिनांक 25.06.2022 तक प्राप्त करा दिये जाये।
   (ख). क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी वृत्त/खण्ड में समूह ग' व समूह 'घ' के स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही आवश्यकतानुसार एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण/समायोजन सुनिश्चित किया जाये।
2. समूह 'ग' व समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे।
3. स्थानान्तरण सत्र की अवधि के समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह 'ग' व समूह 'घ' के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे।
4. इसके अतिरिक्त समूह 'ग' हेतु पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0–8/2022/सा0–119/सैंतालिस–4–2022–(1/3/96) दिनांक 13.05.2022 द्वारा निर्गत व्यवस्था का अनुपालन समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों (प्रदेश/मण्डल/जनपद स्तर) के संबंध में कड़ाई से सुनिश्चित करें।
5. संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवदेनशील पदों पर कदापि न की जाए।
6. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकाक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जिले–चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।
7. स्थानान्तरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यतः स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाये।
8. स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च को माना जायेगा।
9. प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
10. प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्त आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेगे।
11. दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जाय। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

12. 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को ही उनके गृह जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय।
13. विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2022–23 में दिनांक 30 जून, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाये।
14. स्थानान्तरण आदेशो में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अवमुक्त तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
15. विभागीय मान्यता प्राप्त सेवा संगठन के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिला अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय। विभागीय मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों से इतर किसी भी संगठन के पत्रों को संज्ञान में न लिया जाय।
16. स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दवाब डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956" के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरूद्ध "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999" यथासंशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

अतः कार्मिक विभाग की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022–23 शासनादेश सं0–11/2022/363–सामान्य/सैंतालिस–का–4–2022–1/3/96 दिनांक 15.06.2022 के अन्य सभी प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाये तथा समस्त स्थानान्तरण दिनांक 30 जून, 2022 तक पूर्ण कर लिये जाय।

ह0/-
(राकेश सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/(ग्रामीण सडक) लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0–2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. निदेशक, अन्वेषणालय, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0।
5. वैयक्तिक सहायक (मिनि0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, मिनिस्टिरियल एसोसिएशन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, यू0पी0 पी0डब्लू0डी0, सर्किल आफिसेस, मिनिस्टिरियल एसोसिएशन, लखनऊ।
8. प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग मिनिस्टिरियल एसोसिएशन, प्रेरणा सदन, लखनऊ।
9. प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, यू0पी0पी0डब्लू0डी0 स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, लखनऊ।

16/6/22

मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0, लखनऊ

Scanned with CamScanner